Proceedings of the Annual General Meetings held on 24th Sept 2023 at 11.00 AM under the chairmanship of Dr. P.K Marwah President in the Auditorium Hall, Zed Global School, near Society office Rohtak.

दी गवर्नमेन्ट इम्पलाईज को० ऑ० हाऊस बिल्डिंग सोसायटी की वार्षिक आम सभा की बैठक दिनांक 24-09-2023 को प्रातः 11.00 बजे आडिटोरियम हाल जैड ग्लोबल स्कूल रोहतक में डा. P.K Marwah की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया.

क्र० सं०	सदस्य का नाम	प्लाट	प्लाट नं M.No	हस्ताक्षर
1	सुमन सेठी		317	
2	R.N. KANSAL		320	
3	R.K. Sharma		90	
4	Chander Garg		180	
5	Harshit Garg		536	
6	K.S. Mehra		286	
7	P.K. MARWAH		746	
8	Harynath	269	9027985887	
9	Vinod K. PRUTHI	484	9416472259	
10	Col T S Dalal	293	8284803337	
11	Savitri Devi	244	9215887888	
12	U.S. Grewal	244	9416266197	
13	Surinder Paul	89	9896226766	
14	M.L. GAMBHIR	515	9466206049	
15	Naresh Bansal	245	9416436884	
16	Swadesh Kumar	370	9896723411	
17	Ramesh Dayal	784		

दिनांक 24-09-2023 को दी गवर्नमेंट इम्पलाईज को० ऑ० हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि० रोहतक की वार्षिक आम सभा की बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 24-09-2023 को प्रातः 11.00 बजे दी गवर्नमेंट इम्पलाईज को० ऑ० हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि० रोहतक की वार्षिक आम सभा की बैठक, आडिटोरियम हाल जैड ग्लोबल स्कूल नजदीक सोसायटी कार्यालय रोहतक में प्रधान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसमें ऊपर लिखित सदस्यों ने भाग लिया।

सर्व प्रथम प्रधान दी गवर्नमेंट इम्पलाईज को० ऑ० हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि० रोहतक ने उपस्थित सभी सदस्यों का दयादिल से धन्यवाद किया क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर बैठक में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। प्रधान दी गवर्नमेंट इम्पलाईज को० ऑ० सोसायटीज लि० रोहतक ने सदस्यों को बताया कि सोसायटी केवल आपके सहयोग से ही इस मुकाम पर पहुँची है। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि पिछले वर्ष की वार्षिक आम सभा की बैठक के बाद 15-20 सदस्यों द्वारा प्लाटों की चार दीवारी बनाने में अपनी दिलचस्पी व्यक्त की है। इसी प्रक्रिया को कायम रखते हुए अन्य सदस्यों से उनके प्लाटों पर मकान बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने की अपील की क्योंकि सोसायटी में अब आधारभूत सुविधाएं जैसे पानी, सीवरेज एवं बिजली इत्यादि का कनेक्शन सरकार से मन्जूर करवा लिया गया है। सोसायटी में मकान निर्मित होने से सोसायटी के प्लाटों की कीमत भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। हाल में इतनी कम कीमत पर शहर में प्लाट उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रधान ने सभी सदस्यों व उनके परिवार की तन्दरुस्ती के लिये प्रार्थना की। तदुपरान्त सचिव महोदय से जारी किये गये एजेन्डा अनुसार कार्यवाही शुरू करने बारे आग्रह किया।

1 दिनांक 13-11-2022 को सम्पन्न हुई वार्षिक आम सभा की गवर्नमेंट इम्पलाईज को० ऑ० हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लि० रोहतक की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि बारे

सचिव महोदय ने दिनांक 13-11-2022 को सम्पन्न हुई वार्षिक आम सभा की बैठक की कार्यवाही सभा सदस्यों को पढ़ कर सुनाई। केवल श्री एन० के० जुनेजा के अतिरिक्त किसी भी सदस्य से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई इसलिये दिनांक 18-11-2022 को हुई बैठक की कार्यवाही को अनुमोदित किया। इसलिये उक्त कार्यवाही की पुष्टि की गई।

2 पिछले वर्ष के कार्यों की समीक्षा

1) पानी का कनैक्शन:- सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण रोहतक ने सोसायटी को सैक्टर 27 को जाने वाली मुख्य पाईप लाईन से कनैक्शन प्रदान किया जा चुका है। सोसायटी द्वारा मुख्य लाईन से सोसायटी में स्थित ओवर हैड वाटर टैंक मुख्य कालोनी में पेय जल पाईपें सर्विस लेन के साथ पाईप बिछा दी गई है। सोसायटी में पीने के पानी के वितरण के लिये जल भण्डार टैंक का पुनर्निर्माण किया गया है क्योंकि जल भण्डार जरजर हालत में था। इस प्रकार वाटर वर्कस पर यह नया पम्प हाऊस है। इसके साथ-साथ वाटर वर्कस में स्थित ऑपरेटर के क्वारटर को भी मुरम्मत करवाई गई जिस पर लगभग 913700/- व्यय किये गये। उपरोक्त कार्य टैण्डर के माध्यम से सम्पन्न करवाने के लिये दो समाचार पत्रों में निविदा निकलवाई गई ताकि कार्य पारदर्शिता से कम कीमत पर करवाये जा सके जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

11) विद्युत स्थापना कार्य:- सचिव महोदय ने सदन को अवगत कराया कि सोसायटी में बिजली का कनैक्शन मन्जूर करवाने के लिये विभाग द्वारा 90 लाख रुपये का अनुमान दिया गया लेकिन सोसायटी अपने प्रयत्नों से इस कार्य का टैण्डर के

माध्यम से 54 लाख रुपये में सम्पन्न करवाया गया बिजली के कनैक्शनों का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है जो कि 15 दिनों तक पूर्ण सम्पन्न हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सोसायटी में बिजली के आन्तरिक कार्य भी लगभग खस्ता हालत में हैं जिन्हें ठीक करवाने में अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। बिजली के आन्तरिक कार्यों को करवाने की प्रक्रिया सोसायटी के विचाराधीन है। अतः उक्त प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया गया।

iii) सीवरेज:- सचिव महोदय ने सदन को अवगत कराया कि सोसायटी में सीवरेज के टूटे सभी ढक्कनों की मुरम्मत करवा दी गई है एवं सीवरेज की सफाई भी करवाई जा चुकी है। सोसायटी में सीवरेज प्रणाली 15-20 दिनों में चालू हो जाएगी। इस प्रस्ताव को सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

iv) बागवानी:- सचिव महोदय ने सदन को अवगत कराया कि सोसायटी में लगभग 1500 पौधे ग्रीन बैल्ट में वन विभाग एवं में लगभग 500 पौधे सोसायटी की विभिन्न साईटों पर इस वर्ष लगवाये गये हैं। पार्कों के समुचित रखरखाव के लिये चारों तरफ कांटेदार तार लगवाई गई है ताकि पार्क पशुओं से सुरक्षित रहें। उपरोक्त के अतिरिक्त सोसायटी में अनुचित जंगल को साफ करवाया गया है ताकि जंगल से राहत मिल सके। उपरोक्त सभी कार्यों को सम्पन्न करवाने के लिये सोसायटी द्वारा 2,60,909 रुपये व्यय किये गये जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

3. भावी कार्यक्रम

i) विस्तार फीस:- सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार सोसायटी को आबंटित साईटों के 6 लाख रुपये के हिसाब से आगामी पांच वर्षों के लिये विस्तार फीस सरकार को जमा करवाई जानी है। सोसायटी की प्रबन्धक

जो यह प्रस्ताव रखा कि सदस्यो पर अत्याधिक बोझ हो जाएगा इसलिए विस्तार फीस की प्रथम किस्त प्लाट के साईज के अनुसार दो वर्षों के लिए गणना की जाएगी। यह विस्तार फीस प्रति वर्ष 15 रुपये प्रति वर्ग गज हो जाएगी। मामले की गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुए सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा गया कि सोसायटी को सरकार से पूर्णतया प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये सामुदायिक केन्द्र का केवल 25 प्रतिशत निर्माण की आवश्यकता है क्योंकि सोसायटी मे लगभग सभी विकास कार्य सम्पन्न हो चुके हैं जोकि पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये आवश्यक है। सोसायटी सामुदायिक केन्द्र का 25 प्रतिशत निर्माण कार्य वाणिज्य स्थलो की बिक्री से प्राप्त राशी से करवाएगी यदि आवश्यकता पड़ी तो सोसायटी सदस्यो से धन की मांग की जाएगी उक्त प्रस्ताव को सदन द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

ii) वार्षिक शुल्क:- सोसायटी की प्रबन्धक समिति द्वारा रखरखाव के शुल्क मे 1500/- रुपये से 2500/- रुपये प्रति वर्ष बढोतरी की सिफारिश की गई जो कि सदन के अनुमोदन हेतु रखी गई। सदन द्वारा सर्वसम्मति से वार्षिक रखरखाव शुल्क (2023-24) 2500/- रुपये की बजाए 2000 रुपये प्रति वर्ष अनुमोदित की गई।

iii) कालोनी मे मकानो के निर्माण बारे:- सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि आम सभा ने चार दीवारी के लिये 50 बोरी सीमेन्ट एवं मकान निर्माण के लिये 200 बोरी सीमेन्ट देने की सिफारिश की थी लेकिन दुःख का विषय है कि सदस्यो की ओर से उदासीन प्रक्रिया मिली। सोसायटी की प्रबन्धक समिति ने यह प्रस्तावित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सैक्टरो की तरज पर मकान निर्माण के लिये कुछ नियम बनाये जाये। अप्रैल 2026 तक जो सदस्य अपने प्लाट पर मकान निर्माण नही करता उस सदस्य के विरुद्ध जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा जाए क्योंकि प्लाट धारको को कब्जा दिये हुए 15 वर्ष हो चुके हैं। प्रबन्धक समिति ने सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सरकार

के निर्देशों की अनुपालना में अपने प्लाटों की कन्वेंस डीड/ सबलीज़ यथाशीघ्र शुरू कर दें क्योंकि इस विषय बारे सोसायटी द्वारा सभी सदस्यों को वाटसअप एवं पत्र व्यवहार के द्वारा पहले से सूचित किया जा चुका है। उपरोक्त के अतिरिक्त सदस्यों को यह भी संज्ञान में लाया गया कि प्लाट स्थानान्तरण प्रक्रिया शीघ्र बन्द होने जा रही है। मामले की गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

iv) सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सोसायटी द्वारा सरकार को आन्तरिक कार्य सम्पन्न करवाने के लिये वर्ष 2014 में मु० 19,25,74,000/- रुपये की राशि जमा करवाने, विभाग के उच्च अधिकारियों एवं राजनैतिक सम्बन्धों के बावजूद विभाग द्वारा कोई वांछित विकास कार्य अभी शुरू नहीं करवाया है जो कि शोध का विषय है! स्थिति से निपटने के लिये यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखा गया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को कानूनी नोटिस किसी अनुभवी अधिवक्ता से दिलवाया जाए तदुपरान्त विभाग के विरुद्ध उच्च न्यायालय में केस दर्ज करवाया जाए। सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

v) सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि सोसायटी में मन्दिर निर्माण के लिये कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें प्रार्थियों द्वारा यह अनुरोध किया गया है अगर सोसायटी उन्हें मन्दिर निर्माण की अनुमति प्रदान करती है तो वे मन्दिर का निर्माण अपने स्तर पर फंड जुटा कर करवाएंगे जिससे सोसायटी में चहल पहल हो जाएगी। उपरोक्त के अतिरिक्त मामले की गहनता से मन्थन उपरान्त सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा रखा गया कि सरकार के नियमानुसार धार्मिक स्थल के लिये निविदा समाचार पत्रों में निकलवाई जायें जो संस्था एवं प्रार्थी सभी शर्तें पूर्ण करता हो उसे स्थल अलाट कर दिया जाए। सदन द्वारा रखे गये प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

vi) सामुदायिक केन्द्र एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के निर्माण बारे सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि हरियाणा

शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अन्तिम पूर्णतया प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाएगा जब दोनों परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ऐसा कदम कालोनी के लाईसैन्स के लिये 25 लाख रुपये प्राप्त एवं सरकार को जमा करवाने में सोसायटी को राहत मिलेगी। मामले को गहनता से मन्थन करने उपरान्त सदन के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया कि सोसायटी में स्थित सभी पार्कों का विकास किया जा चुका है, सीवरेज प्रणाली को समुचित कर दिया गया है, बिजली पानी का भी कनैक्शन सोसायटी को सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी किया जा चुका है। जहाँ तक सामुदायिक केन्द्र के निर्माण का सम्बन्ध है उसे सोसायटी द्वारा अपने रिसोरसिज से करवाने की प्रक्रिया जारी है क्योंकि सामुदायिक केन्द्र के नक्शे इत्यादि नक्शा नवीस द्वारा सरकार से अनुमोदित करवाये जा चुके हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त सदन को यह भी अवगत कराया गया कि सामुदायिक केन्द्र के साथ लगती दुकानें जिनकी नीलामी से बिक्री हो चुकी है उन सभी दुकान मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी बिक्री स्थलों में विकास कार्य शीघ्र शुरू करवाएं अन्यथा किसी भी देरी के लिये दुकान मालिक स्वंम जिम्मेवार होंगे। सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

vii) सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि श्री सन्दीप अग्रवाल द्वारा सोसायटी के विरुद्ध की गई झूठी शिकायतें एवं प्रबन्धक समिति के सदस्यों और ध्यान पर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके निपटान के लिये सोसायटी की प्रबन्धक समिति को सरकारी कार्यालयों में उपस्थित होना पड़ा एवं कई बार चण्डीगढ़ के चक्कर भी लगाये गये। इन झूठी शिकायतों के निपटान के लिये सोसायटी को अत्याधिक व्यय भी करना पड़ा। ऐसे शरारती तत्व को सोसायटी की सदस्यता से निष्कासित किया जा चुका है। अब श्री सन्दीप अग्रवाल द्वारा अनुरोध किया गया है कि उसकी सदस्यता बहाल की जाए वह सोसायटी द्वारा व्यय खर्चों की भरपाई करने के लिए एवं लिखित रूप में माफीनामा देने को तैयार है कि उसने सोसायटी

एवं प्रबन्धक समिति के सदस्यों के बारे झूठे इल्जाम लगाये एवं झूठी शिकायत विभिन्न विभागों को भी प्रस्तुत की थी उसके लिये वह शर्मिंसार है। उसकी एक बूढ़ी मां एवं उसके छोटे बच्चों पर रहम करते हुए उसका दलाए बहाल किया जाए। सदन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि श्री सन्दीप अग्रवाल से प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ-पत्र या प्रबन्धक समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर माफीनामा लिया जाए कि वह भविष्य में इस प्रकार की कोई शिकायत सोसायटी के विरुद्ध नहीं करेगा एवं प्रार्थी को एक मौका प्रदान करने बारे सहमति जताई। 5

4. संचालन का क्षेत्र (Area of operation):- सचिव महोदय द्वारा सदन को अवगत कराया कि पहले सोसायटी में रोहतक ही सीमित था, बाद में सदस्यों के आवेदन/अनुरोध जो कि समय-समय पर सोसायटी की प्रबन्धक समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये कि सोसायटी का संचालन क्षेत्र पूरा हरियाणा होना चाहिए एवं सोसायटी के नियमों में सुधार करने की सिफारिश की गई जो सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तथा अंतिम निर्णय इस प्रकार लिया गया

उपविधि सं.	मौजूदा	प्रस्तावित
3	सोसायटी के संचालन का क्षेत्र रोहतक को कवर करेगा।	सोसायटी के संचालन का क्षेत्र रोहतक को कवर करेगा।
5	उप नियम 6 के प्रावधान के आधीन, कोई भी व्यक्ति सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश के पात्र होगा यदि वह	उप नियम 6 के प्रावधान के आधीन, कोई भी व्यक्ति सोसायटी के सदस्य के रूप में प्रवेश के पात्र होगा यदि
	1) 18 वर्ष से अधिक उम्र और स्वस्थ दिमाग वाला	1) कोई परिवर्तन नहीं
	2 सोसायटी का सामान्य निवासी	2) रोहतक जिले का एक सामान्य निवासी या कम से कम पांच साल से रोहतक जिले का निवासी था या रोहतक जिले में काम कर रहा है या कम

		पांच साल तक रोहतक जिले में काम किया है
3	अध्यक्ष पारिश्रमिक	3) कोई परिवर्तन नहीं
4	अपने स्वयं के उपयोग के लिये घर बनाने में रुचि रखता है।	4) कोई परिवर्तन नहीं।

सदन द्वारा उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
इस प्रस्ताव के लिये प्रधान व उपप्रधान को हस्ताक्षर हेतु अधिकृत किया जाता है

5 दिनांक 01-04-21 से 31-03-2022 एवं 01-04-22 से 31-03-2023 के लिये अंकेक्षित बजट एवं दिनांक 01-04-2023 से 31-08-2023 तक के अन्तिम बजट की समीक्षा

कोषाध्यक्ष मि० विजय लक्ष्मी सांघी द्वारा सोसायटी का दिनांक 01-04-21 से 31-03-22 एवं 01-04-22 से 31-03-23 के लिये अंकेक्षित बजट एवं दिनांक 01-4-2023 से 31-08-2023 तक के अन्तिम बजट सदन में प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से पास किया गया।

बैठक के दूसरे सत्र में प्रश्नोत्तर एवं सदस्यों के सुझाव रखे जो कि निम्नलिखित हैं

- सोसायटी में हाल में 60 स्ट्रीट लाईटें लगी हुई हैं ताकि कोई भी सदस्य रात को सोसायटी में प्रवेश करता है
- सोसायटी का छोटा नाम के बारे यह सुझाव दिया गया कि सोसायटी अब किसी ऐसे महान व्यक्ति के नाम से सम्बोधित हो जिन्होंने सोसायटी के उत्थान के लिये अथक प्रयत्न किये जैसे पुष्प श्री सेठ कृष्ण दास सोसायटी एवं श्री टी. आर. अग्रवाल सोसायटी। इस मुद्दे को अगली बैठक तक स्थगित किया गया।
- सोसायटी में बिजली के बिल के बारे सदन को अवगत कराया कि हाल में सोसायटी में 109 कि० वाट का कनैक्शन है जबकि सोसायटी में कोई मकान निर्माण न होने कारण बिजली की खपत कम है। इसलिये विभाग द्वारा सोसायटी के बिजली का बिल फ्लैट रेट पर इशु किया जाता है जिसे सोसायटी को सभी सदस्यों की ओर से अदा करना होता है
- सदन को यह भी अवगत कराया गया कि वार्षिक आम सभा

की बैठक की कार्यवाही अब सोसायटी की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी जिसे प्रत्येक सदस्य आसानी से पढ़ सकता है एवं सोसायटी को डाक खर्च से भी राहत मिलेगी।
श्री एन. के. जुनेजा एवं अन्य विस्तृत में विस्तार फीस के बारे में जानकारी लेना चाहते थे जिसे प्रधान जी द्वारा संक्षेप में अवगत करा दिया गया।
✓ कुछ सदस्यो द्वारा बिजली एवं पानी के चार्जेज के बारे में जानकारी लेनी चाही उन्हे श्री आर. एन. कन्सल संयुक्त सचिव एवं श्री के. एस. नेहरा, उप प्रधान ने यह बताया कि जब तक हम अपने मकान नहीं बनाते तब तक फ्लैट चार्जेज बिजली एवं पानी पर देने पडेंगे। इसलिये ये अच्छा होगा कि हम जल्द से जल्द अपने मकान बनाये ताकि यह खर्चा बच सके।
✓ अन्त में सदस्यो ने श्री चन्द्र गर्ग निदेशक औड म्लोक्ला स्कूल को फूलो के गुलदस्ते से सम्मानित किया एवं उसको धन्यवाद किया कि उन्होंने आज के समारोह के लिये स्कूल का हाल बिना किसी चार्जेज के इस्तेमाल करने को दिया। इसके अतिरिक्त श्री चन्द्र गर्ग ने आज के समारोह में सारा प्रबन्ध करने में हमारा साथ दिया।
अन्त में बैठक प्रधान को धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

Kanwal
प्रधान

[signature]
उप प्रधान

[signature]
सचिव

सदस्य
Ramesh Dagar